जी-262
06/10/2020

(252)

संख्या- 1617 /बयालिस-2020-135(विविध)/2013

J.D.

05-10-2020

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

पी चौधरी

विषय :- सामान्य खिलाडियों की भाँति दिव्यांगजन खिलाडियों को सुविधाएँ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या- जी-310/दिव्यांगजन पत्रा0/2020-21, दिनांक 15.09.2020 एवं शासनादेश संख्या- 3090/बयालिस-2013-135(विविध)/2013, दिनांक 28.11.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सामान्य खिलाडियों की भाँति दिव्यांगजन खिलाडियों को सुविधाएँ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सामान्य खिलाडियों को दी जाने वाली सुविधा पुरस्कार, विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट, लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता, प्रदेशीय क्रीडा संघों, क्लबों को प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता हेतु शासनादेश में अनुमन्य व्यवस्था/नियमों के अधीन उ0प्र0 के दिव्यांगजन खिलाडियों को सुविधाएं निम्न शर्तो के अधीन अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

3- सामान्य खिलाडियों के प्रदेशीय खेल संघो को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु एक मानक निर्धारित किया गया है, क्योंकि दिव्यांगजन खिलाडियों को सामान्य खिलाडियों की भाँति ही सुविधा प्रदान की जाती है अतएवं दिव्यांगजन प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के मान्यता/सम्बद्धता हेतु निम्नवत् पात्रता निर्धारित की जाती है। निम्नवत् अर्हता पूर्ण करने/गाइड-लाइन्स स्वीकार करने वाले दिव्यांगजन प्रदेशीय खेल संघों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी तथा दिव्यांगजन प्रदेशीय खेल संघों के माध्यम से प्राप्त वे

प्रस्ताव/आवेदन जो वर्तमान कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक (वर्ष 2019-20) निदेशालय में प्राप्त हो जायेगें उन्ही पर नियमानुसार पुरस्कार / अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

(1)- सम्बन्धित खेल के भारतीय दिव्यांगजन खेल फेडरेशन का खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।

(2)- संबंधित खेल के प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ को भारतीय दिव्यांगजन खेल फेडरेशन द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।

(3)- सम्बन्धित खेल के भारतीय दिव्यांगजन खेल फेडरेशन, पैरा-ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) या दिव्यांगजन से सम्बन्धित भारत सरकार से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त खेल महासंघ से सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति ।

(4)- सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण - पत्र की प्रमाणित प्रति।

(5)- प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के संविधान/ज्ञापन की प्रमाणित प्रति।

(6)- प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के पदाधिकारियों की सूची, पता व मोबाइल नम्बर सहित।

(7)- संबंधित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के विगत तीन वर्षों का सम्परीक्षित आय-व्यय विवरण।

(8)- सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ से सम्बद्ध जिला इकाईयों की सूची, पता व मोबाइल नम्बर सहित।

(9)- सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल के विगत तीन वर्ष के कार्यकलापों की रिपोर्ट ।

(10)- सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ द्वारा तीन वर्षों तक सबजूनियर/ जूनियर/सीनीयर वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन सम्बन्धी प्रपत्र।

2- संघ के पदाधिकारियों का चुनाव :-

संघ के पदाधिकारियों का चुनाव सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के संविधान के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियम/शर्तों के अनुसार किया जायेगा :-

(1)- संबंधित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के पदाधिकारी अपने पद एक कार्यकाल के लिए 04 वर्ष तक रहेंगे और दुबारा चुनाव में भाग लेकर 04 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए अपने पद पर रह सकेंगे।

(2)- संबंधित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के पदाधिकारी लगातार अधिकतम 02 कार्यकाल अथवा 08 वर्ष तक अपने पर बने रह सकेंगे।

(3)- संबंधित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के पदाधिकारी (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) उक्त निर्धारित कार्यकाल हेतु अपने पत्र पर रहने के 04 वर्ष बाद पुन: पदाधिकारी हेतु चुनाव में भाग ले सकेंगे। किसी भी प्रदेशीय खले संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष केवल एक प्रदेशीय खेल संघ के पदाधिकारी रह सकते हैं।

(4)- प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ के चुनाव में खेल निदेशालय के अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नामित करवाया जाना आवश्यक है।

(5)- सभी प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघों में कम से कम 75 प्रतिशत जिला इकाईयों का सम्बद्ध होना अनिवार्य है।

3- दी जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्तानुसार गाइड-लाइन्स स्वीकार करने वाले प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा :-

(1)- सामान्य खिलाडियों की भाँति दिव्यांगजन खिलाडियों को भी नियमानुसार समस्त सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

(2)- सामान्य खिलाडियों के खेल संघों को प्रदान की जाने वाली सुविधाऐ मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त दिव्यांगजन खेल संघों को भी नियमानुसार समस्त सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

(3) मान्यता प्राप्त मिनी /कैडट/ सब जूनियर/जूनियर/यूथ/सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाडियों एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पैरा ओलम्पिक गेम्स, पैरा काममनवेल्थ गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, पैरा वर्ल्ड कप में पदक विजेता दिव्यांगजन खिलाडियों को भी नियमानुसार पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी।

(4)- सामान्य खिलाडियों की भाँति शासनादेशों में वर्णित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन दिव्यांगजन खिलाडियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

(5)- सामान्य खिलाडियों की भाँति शासनादेशों में वर्णित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध दिव्यांगजन खिलाडियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

4- खिलाड़ियों की पात्रता :-

दिव्यांगजन खिलाडियो को अनुमन्य सुविधा निम्नवत् शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी :-

(1)- जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाईल) हो।

(2)- उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

(3)- उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का छात्र रहा हो।

5- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध :-

(1)- सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ को अपने खेल विशेष की प्रत्येक वर्ष कम से कम 02 प्रतियोगितायें (सब-जूनियर एवं जूनियर वर्ग की राज्य स्तरीय) आयोजित कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2)- प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ को दिये गये अनुदान से सम्बन्धित सम्परीक्षित आय-व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित अनुदान की धनराशि प्राप्ति के तीन माह के भीतर खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रस्तुत करना होगा।

(3)- दिये गये अनुदान से सम्बन्धित सम्परीक्षित आय-व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित तिथि तक उपलब्ध न कराये जाने पर आगे अनुदान स्वीकृत किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(4)- वांछित सूचना उपलब्ध न कराये जाने की दशा में निदेशक, खेल द्वारा संघ की अन्य सुविधायें भी रोके जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(5)- सम्बन्धित खेल के अन्तराष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा भारतीय दिव्यांगजन खेल फेडरेशन की मान्यता समाप्त करने के दृष्टिगत खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनकी मान्यता रद्द किये जाने की दशा में सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ की मान्यता स्वतः निष्प्रभावी होगी तथा भारत सरकार द्वारा पुनः राष्ट्रीय दिव्यांगजन खेल महासंघ की मान्यता बहाल होने के उपरान्त सम्बन्धित प्रदेशीय दिव्यांगजन खेल संघ द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जायेगी ।

IMG_20200930_182138.jpg

उक्त आदेश ... जायेगा। उपरोक्त लिए गये निर्णय के उपरान्त उक्त ... सम्बन्धित सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 1617 (1)/बयालिस-2020 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 प्रयागराज ।
2- अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- गोपन अनुभाग ।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार II)
विशेष सचिव ।

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJZJRplQnnXxdXCFjdBjNmfxnD?projector=1&messagePartId=0.5